न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 142/18
निर्णय दिनांक:– 07.09..2018

1. अरूण लोढ़ा पुत्र श्री शंकरराज लोढ़ा जाति ओसवाल नि0 जयपुर जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. नारायण पुत्र रामदेव
3. हनुमान पुत्र नारायण
4. रामनाथ पुत्र नारायण

समस्त जाति गुर्जर नि0 महेशवास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 536 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 537 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 552 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 वाकै ग्राम महेशवास प0ह0 हिरनोदा गि0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में अंकित है उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थी उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की आराजी के नजदीक पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0 2 लगा0 4 की आराजी खं0नं0 540 है उक्त अप्रार्थीगण आयेदिन प्रार्थी की भूमि की सीमा से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न कर झगड़ा फिसाद पर आमदा रहते है तथा आराजी की सीमा सम्बन्धित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के मद सं0 1 में वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान श्रीमान् तहसीलदार महोदय फुलेरा के आदेश क्रंमाक भू0अ0/18/2080–86 दिनांक 09.05.18 की पालना में गठित सर्वे टीम सदस्यों एवं आवेदक व पुलिस जाप्ता थाना जोबनेर के साथ ग्राम महेशवास मे आराजी खं0नं0 536, 537, 552 किता 3 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा पर मौके पर पहुंच कर दिनांक 22.05.18 को किया जा चुका है तथा सीमा के चिन्ह कायत किये जा चुके है परन्तु अप्रार्थी सं0 2 लगा0 4 सीमा के चिन्ह को नहीं मान रहे है तथा सीमा सम्बन्धित विवाद उत्पन्न कर रखा है। सीमाज्ञान सर्वे टीम द्वारा उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी सं0 1 के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके पश्चात् भी प्रार्थी की आराजी की सीमा सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो रखा है इस कारण प्रार्थी मुताबिक फर्द रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 22.05.18 के अनुसार प्रार्थी अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढी करवाकर उसके आधार पर तारबन्दी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी के कब्जें काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके ओर सीमा सम्बन्धित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न

Scanned by CamScanner

नहीं हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने उक्त फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 के समक्ष जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय से सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थी सं0 4 की ओर से वकील श्री रवि वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 4 ने प्रा0पत्र 151 जा0दी0 का पेश किया जिसका वकील प्रार्थी ने जवाब पेश किया गया। उक्त प्रा0पत्र पर पक्षकारान वकीलों की बहस सुनी गयी बहस सुनने के पश्चात् अप्रार्थी सं0 4 का प्रा0पत्र खारिज किया गया तथा अप्रार्थी सं0 4 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश किया गया तथा अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 07.09.18 को अप्रार्थी स0 4 उपस्थित न होने के कारण उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

न्यायालय ने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी ने अपनी आराजी की पत्थर गढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी ने अपनी आराजी का दिनांक 22.05.18 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीयागण की आराजी खं0नं0 536 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, खं0नं0 537 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 552 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 वाकै ग्राम महेशवास प0ह0 हिरनोदा गि0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.05.18 के तहसीलदार फुलेरा को 500/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार फुलेरा को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को खुले न्यायालय में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner